राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.3(77)नविवि/3/2010पार्ट–II जयपुर, दिनांक :– 24 MAY 2013

आदेश

राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए) के बिन्दु सं. 8 (iv) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम्स इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर क्षेत्रफल तक) के बिन्दु सं. 10 (iv) के अनुसार विकासकर्ता से बाह्य विकास शुल्क लिये जाने का प्रावधान है।

राज्य सरकार द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन पश्चात् निर्णय लिया गया है कि :–

1. धार्मिक संस्थाओं जिनका संचालन समिति अथवा ट्रस्ट द्वारा दान के आधार पर किया जा रहा है, ऐसी धार्मिक संस्थानों से धार्मिक (लोकोपयोगी) प्रयोजनार्थ उपयोग प्रस्तावित होने पर राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी, 2010 (10 हैक्टयर से अधिक क्षेत्रफल के लिए) के बिन्दु सं. 8 (iv) तथा पॉलिसी फॉर रेजिडेन्सल ग्रुप हाउसिंग एण्ड अदर स्कीम्स इन प्राईवेट सेक्टर, 2010 (10 हैक्टयर क्षेत्रफल तक) के बिन्दु सं. 10 (iv) के अन्तर्गत लिये जाने वाले बाह्य विकास शुल्क की सामान्य दर की 25 प्रतिशत राशि लेय होगी।
2. इन संस्थाओं से ली जाने वाली बी.एस.यू.पी. (शैल्टर) फण्ड की सामान्य दर की 25 प्रतिशत राशि ली जावें।

(गुरदयाल सिंह संधु)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. संसदीय सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन स्वायत्त शासन, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।
6. आयुक्त/सचिव, जयपुर/जोधपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर।
7. सचिव, नगर विकास न्यास, अलवर/अजमेर/आबू जिला सिरोही/भरतपुर/भिवाडी/भीलवाडा/बीकानेर/बांसवाड़ा/बाड़मेर/चित्तोड़गढ़/जैसलमेर/कोटा/पाली/सीकर/श्रीगंगानगर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर।
8. गार्ड फाईल।

23/5/2013
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय